UPBB010065942021

न्यायालय: **विशेष न्यायाधीश (एम०पी०/एम०एल०ए०)/** अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं.**04,** बाराबंकी।

सत्र परीक्षण वाद सं० 1990/2021

सरकार बनाम अमित कुमार आदि।

अपराध सं. 16 /2015
धारा 147, 148, 149, 302, 364, 201, 216 भा०दं०सं०,
थाना बदोसराय, जिला बाराबंकी।

निस्तारण प्रार्थनापत्र **94 ब**

आदेश पत्र

दिनांक: 06–03–2023

प्रार्थनापत्र ब 94 पर प्रार्थी/ अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है।

अभियुक्त डा० विजय कुमार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांकित 01–03–2023 कागज सं.94 ब जरिये अधिवक्ता इस आशय का दिा गया है कि साक्षी पी०डब्लू० 1 शिवम की जिरह के दौरान नये तथ्य सामने आये हैं। इन दस्तावेजों के न हाने से प्रार्थी अधिवक्ता जिरह करने में असहाय महसूस कर रहे हैं। साक्षी पी०डब्लू० 1 शिवम श्रीवास्तव ने जिरह में स्वीकार किया है कि दुर्घटना बीमा का पैसा उसकी मां ने प्राप्त किया था जबकि वही पैसा उसके पिता द्वारा भी प्राप्त किया गया था। इस विषय पर स्थिति तभी स्पष्ट हो सकती है जब सम्बंधित एजेन्सी से रिकर्ड तलब किये जाये। एक तरफ दुर्घटना बीमा का पैसा लिया गया है एवं दूसरी तरफ अभियुक्त हत्या के आरोप का सामना कर रहा है। यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि मृतक की मृत्यु हुई या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है क्योंकि रिकर्ड के अनुसार 31–01–2015 तक वह मृतक नहीं था क्योंकि उसने इस्तीफा दिया था। साक्षी पी०डब्लू० 1 ने घटनास्थल पर सम्बंधित वाहन के मेडगार्ड के सम्बंध में भी बयान दिये हैं। इस सम्बंध में टोल रिपोर्ट की सत्यता की जांच, जांच एजेन्सी से कराया जाना आवश्यक है। माननीय उच्च्तम न्यायालय द्वारा Anant Thanur Karmuse Vs Stat of Maharashtra, Criminal Appeal No 13 of 2023, LAWS(sc)–2023–2–61 में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि आरोप बनने के बाद भी विवेचना करायी जा सकती है। चूंकि सम्बंधित दस्तावेज

प्रार्थी को प्राप्त कराये नहीं गये, इस कारण उसे जानकारी नहीं है कि डिप्टी एस०पी०, सी०बी०सी०आई०डी० के पत्र दिनांक 25–08–2017 के अनुक्रम में विवेचना हुई या नहीं। मृतक एवं साक्षी पी०डब्लू० 1 के फोन लोकेशन की डिटेल भी उपलब्ध नहीं है। फोटोग्राफ भी दाखिल नहीं किये गये हैं। साक्ष्यों से छेड़छाड़ की गयी है एवं सम्पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थना की गयीय है कि प्रार्थनापत्र के पैरा 1 व 3 में वर्णित दस्तावेज तलब किये जाये जिससे बचाव पक्ष द्वारा साक्षी पी०डब्लू० 1 से सही ढंग से जिरह कर सके।

अभियोजन पक्ष द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त की तरफ से यह प्रार्थनापत्र मात्र विलम्ब करने के उद्देश्य से दाखिल किया गया है। मामले में आरोप पत्र पर संज्ञान दिनांक 22–04–2019 को लिया जा चुका है। तब से 4 वर्ष पश्चात् प्रार्थनापत्र दिया गया। पी०डब्लू० 1 की जिरह में अगर कोई नया तथ्य आया है जो अभियोजन केस का भाग नहीं है तो अभियोजन उस स्थिति में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये बाध्य नहीं है। यदि ऐसी अनुमति दी जाती है तो जिरह में बचाव पक्ष द्वारा असंगत तथ्यों पर प्रश्न पूंछ कर केस की दिशा एवं केस का आधार बदलने के लिये कोशिश की जायेगी। अभियोजन का कर्तव्य युक्ति–युक्त सन्देह से परे अभियोजन केस को साबित करना है न कि बचाव पक्ष का। साक्षी पी०डब्लू० 1 की जिरह 03–10–2022 से प्रारम्भ है और 03–10–2022 के बाद से 28 तिथियां बीत गयीं और पी०डब्लू० 1 की जिरह बचाव पक्ष द्वारा पूर्ण नहीं की गयी। पी०डब्लू० 1 की जिरह के लिये डा० विजय को 15 तिथि दी जा चुकी हैं पर उनके द्वारा जिरह न पूर्ण करके ऐसे विषयों पर तथ्य बदल कर प्रार्थनापत्र बार बार प्रस्तुत किया जा रहा है जिन पर न्यायालय द्वारा पूर्व में आदेश पारित किया जा चुका है। प्रार्थनापत्र मात्र विलम्ब कारित करने एवं विचारण में बाधा उत्पन्न करने एवं वाद की कार्यवाही को आगे बढ़ने न देने की मंशा से प्रस्तुत किया गया है। अन्य अभियुक्तगण द्वारा जिनकी समान भूमिका है, इस तरह का कोई प्रार्थनापत्र नहीं दिया गया है जिससे स्पट है कि अभियुक्त की मंशा मा. विचारण को विलम्बित करने का है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थनापत्र निरस्त करने की याचना की गयी।

पत्रावली का परिशीलन किया। पत्रावली के सम्यक परिशीलन से स्पष्ट है कि मामले की विवेचना थाना बदोसराय पुलिस से सी०बी०सी०आई०डी० ने ली एवं माननीय उच्च न्याालय के आदेश दिनांकित 22–08–2017 के माध्यम से विचेना पुनः थाना बदोसराय पुलिस को दी गयी एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में कहा गया कि मामले की विवेचना लोकल पुलिस के अन्वेषण अधिकारी द्वारा निष्पक्ष ढंग से की जाये। यह भी स्पष्ट है कि ड० विजय अभियुक्त द्वारा कथित फोटोग्राफ के सम्बंध में न्यायालय द्वारा 22–08–2022 को आदेश पारित किा जा चुका है तथा काल डिटेल एवं सी०डी०आर० के विषय में भी आदेश पारित किया जा चुका है। प्रार्थनापत्र 60 ब एवं

62 ब जो इन्हीं आधारों पर दिये गये थे, पर दिनांक 09–09–2022 को आदेश पारित कर उन्हें निस्तारित किया जा चुका है। जहांतक दुर्घटना बीमा के पैसे एवं माता पिता द्वारा पैसा प्राप्त करने का सम्बंध है तो प्रस्तुत प्रकरण में साक्ष्योंपरान्त यह निष्कर्ष निकाला जाना है कि अभियुक्त उसके विरूद्ध लगाये गये आरोप का दोषी है या नहीं। न्यायालय प्रत्येक साक्षी के प्रत्येक तिथि पर होने वाले साक्ष्य एवं जिरह के आधार पर ही निष्कर्ष देने क लिये बाध्य नहीं है। न्यायालय को सम्पूर्ण साक्ष्योंपरान्त अपना निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर देना है। अभियोजन पक्ष द्वारा यह आपत्ति की गयी है कि "प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के माध्यम से बचाव पक्ष द्वारा साक्षी पी०डब्लू० 1 की जिरह में आये कथनों के आधार पर अभियोजन कथानक की दिशा परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिरह का उद्देश्य अभियोजन कथानक की विश्वसनीयता परखना है।" स्पष्ट है कि अभियोजन साक्ष्य के उपरान्त बचाव पक्ष को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का सम्पूर्ण अवसर प्राप्त है। यदि विवेचना पुलिस अधीक्षक द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों में से समस्त निर्देशों के अनुक्रम में नहीं की गयी तो यह अपने आप में अग्रेतर विवेचना का आधार नहीं है। बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गयी विधि व्यवस्था में न्यायालय को अत्यन्त आपवादित मामलों में अग्रेतर विवेचना कराने हेतु निर्देशित करने का अधिकार दिया गया है। बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत विधि व्यवस्था वाले मामले में विवेचना सी०बी०आई० से कराने की मांग की गयी थी। इस कारण बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत विधि व्यवस्था इस मामले में लागू नहीं होती।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल बेन्च नं.701 of 2015 दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव बनाम स्टेट आफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 22–08–2017 में अपराध सं.16/2015 धारा 147, 148, 201, 364, 302 IPC, थाना बदोसराय की विवेचना के लिये पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को आदेशित किया गया है कि मामले की विवेचना लोकल पुलिस के अन्वेषण अधिकारी द्वारा निष्पक्ष ढंग से की जाये। इस तरह से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले की विवेचना माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में की गयी है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में यह अनुरोध किया गया है कि वर्णित दस्तावेज एवं साक्ष्य एकत्रित किया जाये ताकि उसके सम्बंध में प्रतिपरीक्षा किया जा सके। जबकि विचरण की कार्यवाही में तथ्यों/साक्ष्यों को साबित करने या नासाबित करने का विकल्प विद्यमान है। अभियुक्त द्वारा अभियोजन साक्ष्यों के प्रक्रम में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र विधिसम्यक नहीं है। यह प्रार्थनापत्र मात्र विचारण को विलम्बित करने के आशय से प्रस्तुत किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय निर्देश पर गठित विशेष न्यायालय द्वारा विचारण को शीघ्रता से पूर्ण किया जाना है।

उपरोक्त तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के आलोक में अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत

प्रार्थनापत्र 94 ब निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त डा० विजय कुमार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांकित 01–03–2023 कागज सं. 94 ब निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते जिरह पी०डब्लू० 1 शिवम श्रीवास्तव, दिनांक 10–03–2023 को पेश हो।

दिनांक 06–03–2023

(कमल कान्त श्रीवास्तव)
J.O. Code:UP01559
विशेष न्यायाधीश(एम.पी. एवं एम.एल.ए.)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं.04, बाराबंकी।